

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2784/2026

Paresh Bhai @ Shiva S/o Jayant Bhai Vaghela, Aged About 27 Years, residents of House No 116, Aajva Road, Near Police Choki Ekta Nagar, Police Thana Bapod District Barodara City, Gujrat.
(At Present Lodged In Sub Jail Bali Distt. Pali)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sravan Kumar Sainee

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सादड़ी जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, वह दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर चोरी के अपराध का आरोप है, वह दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त पर पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **परेश भाई उर्फ शिवा पुत्र जयन्त भाई वाघेला** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

यदि भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित किया जाता है तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा को निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J